आवश्यक वस्तुओं की प्रतिव्यक्ति समान आपूर्ति किये जाने की आवश्यकता

1758. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवश्यक वस्तुओं जैसे चीनी, आटा और चावल के वितरण हेतु राज्यवार प्रतिव्यक्ति कितना कोटा निर्धारित किया गया है ;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित किए गये कोटे में विद्यमान असमाननता के बारे में जानकारी है;

(ग) क्या सरकार इस असमानता को समाप्त करने और प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिव्यक्ति कोटे का समान मात्रा आवंटित करने का विचार रखती है ;

(घ) यदि उपयुक्त भाग (ग) का उत्तर "हां" है, तो यह कार्य कब तक कर लिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) से (ङ) केंद्रीय सरकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल, आयातित खाद्य तेल तथा साफ्ट कोक जैसी वस्तुओं का केवल थोक में आवंटन करती है । राज्यों को थोक आवंटन, राज्यों से प्राप्त मांग, केंद्रीय पूल में उपलब्ध भण्डार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पारस्परिक आवश्यकताओं तथा मौसम संबंधी कारणों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। केवल लेवी चीनी के मामले में आवंटन आबादी के आधार पर किए जाते हैं । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आवंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और उनका प्रयोजन किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं होता है ।

लेवी चीनी का आवंटन आमतौर पर 1-10-1986 की अनुमानित आबादी के लिए प्रति व्यक्ति, प्रति महीना 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के समान प्रतिमान के आधार पर किया जाता है । अगस्त, 1991 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी के आवंटन में 5% की तदर्थ वृद्धि की गई है ।

थोक आवंटन करने के पैटर्न में परिवर्तन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Meeting with North-East States

1759. SHRI MOHINDER SINGH LATHER:

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

SHRI ANANT RAM JAISWAL:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government had arranged a meeting with North-East States in Delhi recently;

(b) if so, what were the basic issues discussed stating the outcome of the meeting, if any;

(c) whether any effective measures have been taken to implement the decisions taken during the said meeting; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The meeting was held to review the position of availability of stocks in the North-Eastern States and discuss measures to prevent smuggling of foodgrains across national border. The following action points were finalised in the meeting:—

(1) The monthly allocation of PDS commodities would be decided around the 5th of every month for the subsequent month and communicated to the State Governments immediately. State Governments should finalise sub-allocations to districts etc. well in time.

(2) Any request for enhanced allocation would be considered by the Central Government to the extent feasible. FCI has been asked to stock at least a month's requirement in all the States.

(3) The State Governments should immediately bring to the notice of the senior FCI officials any shortage of stocks.

(4) The State Governments should set up Civil Supplies Corporation to improve PDS in these States.

(5) The State Governments should submit detailed proposal for construction of godowns and purchase of vans to Central Government. Proposals from these States would be considered on priority basis.

(6) To prevent smuggling of essential commodities across the borders, the State Governments should step up action under the Essential Commodities Act. The Customs and BSF authorities should also step up vigilance in the Border areas.

(7) All PDS consumers should be issued ration cards in North-Eastern States. The present system of issue on the basis of registers should be phased out.

दिल्ली में जाली राशन कार्ड

1760. **श्री राम सिंह राठवा :**

श्री मतंग सिंह :

श्री कृष्ण कुमार बिरला :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक** वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में घुसपैठियों और अवैध विदेशी आप्रवासियों को बहुत से राशन कार्ड जारी किये गये हैं, यदि हां, तो वर्ष 1991 से 1993 के दौरान ऐसे कार्डों के माध्यम से ली गई वस्तुओं की मात्रा सहित उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या ये अवैध राशन कार्ड दिल्ली में उचित दर दुकानों के मालिकों और राशन कार्यालयों के कर्मचारियों की मिलीभगत से जारी किये गये हैं, जिसके लिए राशन कार्यालयों के कर्मचारी और उचित दर दुकानों के स्वामी काफी धन प्राप्त कर रहे हैं; और

(ग) सरकार ने इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है और राशन कार्यालयों के कर्मचारियों और दुकानदारों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि दिल्ली के निवासियों को राशन कार्ड दिल्ली विनिर्दिष्ट वस्तुएं (विनियमन एवं वितरण) आदेश, 1981 के उपबंधों के अनुसार जारी किए जाते हैं । राशन कार्ड उन आवेदकों को, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के सामान्यतः निवासी हैं, जारी किए जाते हैं । दिल्ली